भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं .5381

जिसका उत्तर 03.04.2025 को दिया जाना है

मजबूत सड़क अवसंरचना

†5381. श्री जिया उर रहमान:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का यह विचार है कि देश को घरेलू और विदेशी, दोनों स्रोतों से पूंजी निवेश आकर्षित करने के लिए मजबूत सड़क अवसंरचना की आवश्यकता है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए जाने वाले प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(तिन जयराम गडकरीश्री नि)

(क) और (ख) अवसंरचना क्षेत्र अर्थव्यवस्था का मुख्य चालक है और यह तीव्र आर्थिक वृद्धि और विकास में योगदान देता है। सरकार का सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों (एनएच) के विकास और रखरखाव के लिए उत्तरदायी है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क की लंबाई मार्च, 2014 में 91,287 किलोमीटर से बढ़कर वर्तमान में 1,46,204 किलोमीटर हो गई है।

बजटीय आबंटन 2013-14 में लगभग 31,130 करोड़ रू. से बढ़कर 2024-25 में 3,00,019 करोड़ रू. हो गया है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर पूंजीगत व्यय को 2013-14 में लगभग 51,000 करोड़ रू से बढ़ाकर 2023-24 में 3.01 लाख करोड़ रू कर दिया गया है। विगत कुछ वर्षों में बजटीय आबंटन में वृद्धि के साथ, सड़कों की गुणवत्ता में काफी सुधार हुआ है। 4 लेन और उससे अधिक एनएच नेटवर्क की लंबाई 2014 में लगभग 18,371 किमी से 2.5 गुना बढ़कर लगभग 48,430 किमी हो गई है। साथ ही, 2 लेन से कम एनएच का अनुपात कुल एनएच नेटवर्क के 30% से घटकर 9% हो गया है। लगभग 2,474 किलोमीटर लंबाई में राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर (एचएससी) / एक्सप्रेसवे पहले ही चालू हो चुके हैं। उपरोक्त विकासों ने देश भर में राष्ट्रीय राजमार्गों तक संपर्कता और पहुंच को बढ़ाया है तथा लॉजिस्टिक दक्षता में भी वृद्धि की है।

देश में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के विकास और सुधार के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई/नियोजित प्रमुख रणनीतियाँ निम्नानुसार हैं:-

i. सरकार ने उच्चतम स्तर पर सख्त निगरानी के साथ-साथ एकमुश्त धनराशि डालने, प्रतिस्थापन, समाप्ति और पुनः पैकेजिंग जैसे उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से विरासत में मिली रुकी हुई परियोजनाओं (2013-14 तक रुकी हुई परियोजनाएं) का समाधान किया।

ii. परियोजनाओं और संविदा दस्तावेजों को युक्तिसंगत बनाकर संविदाकार के परितंत्र को बढ़ावा देना।

iii. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी सहित सभी परियोजना नियोजन को पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान (एनएमपी) पोर्टल पर अनिवार्य किया गया है।

iv. भूमि अर्जन और निर्माण-पूर्व कार्यकलापों के संदर्भ में पर्याप्त तैयारी के बाद परियोजनाओं को ठेका देना।

v. रेलवे द्वारा जीएडी (जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग) के अनुमोदन की सरलीकृत प्रक्रिया।

vi. भूमि अर्जन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना।

vii. नई प्रौद्योगिकियों को अपनाना तथा मानकों और विनिर्देशों को निरंतर उन्नत करना।

viii. नवीन वित्तपोषण मॉडल आदि से संसाधन जुटाना।

ix. "आत्मनिर्भर भारत" के तहत निधियों की उपलब्धता में सुधार के लिए करार प्रावधानों में छूट।

x. विवाद समाधान तंत्र में सुधार।

xi. पोर्टल आधारित परियोजना निगरानी से समस्याओं का त्वरित समाधान संभव।

xii. विभिन्न स्तरों पर परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा।

*****